कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर

क्रमांकः जयपुर,दिंनाक

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2016–17हेतु इस गृह के आवासियों हेतु भोजन बनाने हेतु निविदाएं प्राधिकृत डीलर्स/फमर्स/सेवा–प्रदाताओं से आमंन्त्रित की जाती है –

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	निविदा फार्म की राशि रूपये	अमानत राशि रूपये	अंतिम निर्धारित तिथि
1.	गृह के आवासियों के लिए रसोइयॉ हेतु	1.50 लाख	200/–	7500/–	30–12–16

निविदा फार्म प्रकाशन की तिथि से दिंनाक 30–12–2016को 12:00 बजे तक कार्य–दिवसों में कार्यालय समय में रोकड़िया से प्राप्त किये जा सकते है । निविदाऐं अंतिम निर्धारित तिथि 30–12–2016 को दोपहर 2:30 बजे तक अमानत राशि के साथ जमा करवाई जा सकती है । जिन्हें इसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे खोला जायेगा । विस्तृत जानकारी व शर्ते इस कार्यालय समय व कार्य दिवसों में कैशियर के पास देखी जा सकती है ।

अधीक्षक
किशोर गृह, सेठी कॉलोनी
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

भोजन बनाने हेतु निविदा वर्ष 2016–17

निविदा प्रपत्र

1– निविदा अधीक्षक, किशोर गृह सेठी कॉलोनी, जयपुर के कक्ष में दिंनाक 30–12–2016समय 2–30 बजे प्राप्त हो जानी चाहियें ।

2– यदि निविदा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है तो अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कालोनी, जयपुर के कक्ष में रखे बाक्स में सील बन्द लिफाफे में डाला जावेगा ।

3– यदि निविदा डाक से भेजी जाये तो दिंनाक 30–12–2016को 2:30 बजे तक अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कॉलोनी, जयपुर के कक्ष में पहुॅच जानी चाहिये इसके पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

अधीक्षक
किशोर गृह, सेठी कॉलोनी
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

ओर से :–

अधीक्षक,
किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
जयपुर

को :–

मैसर्स

प्रिय,

आपके आवेदन पत्र दिंनाक ––––––––––––और निविदा प्रपत्र की कीमती रूपये 200/– जरिये रसीद जमा कर निविदा दस्तावेज की मांगी की है । अतः भोजन बनाने की दर संविदा से संबंधित निविदा दस्तावेज की एक प्रति में मय विस्तृत निविदा की शर्तो के साथ जारी किया जा रहा है । मूल निविदा प्रपत्र भरकर अधीक्षक, किशोर गृह, जयपुर के कक्ष में दिंनाक 30–12–2016समय 2:30 बजें प्राप्त हो जानी चाहिये । प्राप्त निविदाएं उसी दिन 4.00 बजें मध्यान्ह पश्चात खोला जावेगा । कृपया, निविदा एंव संविदा की शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ओर निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्ते स्वीकार करने के टोकन के रूप में हस्ताक्षर करें और अपनी दरें निर्धारित प्राारूप में ही भरकर उस पर हस्ताक्षर करें ।

अधीक्षक
किशोर गृह, सेठी कॉलोनी
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

विषय :– राजकीय किशोर गृह, सेठी कालोनी, जयपुर में आवासी किशोरों हेतु भोजन बनाने हेतु रसाइयां की संविदा वर्ष

ओर से :–

मैसर्स

को

अधीक्षक,
किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
जयपुर ।

संदर्भ :– आपकी निविदा सूचना संख्या दिंनाक

विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा के कम में निवेदन है कि :–

1– यह कि मेरे/हमारे द्वारा रूपये 200/– निविदा की राशि नगद रसीद संख्या———————दिंनाक 30.12.2016 द्वारा जमा करवा दी गई है, जोकि अधीक्षक, किशोर गृह,बालअधिकारिता विभाग, सेठी कॉलोनी, जयपुर द्वारा जारी की गई है ।

2– यह कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा संबंधी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा शर्ते स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर कर दिये गये है । घोषणा पत्र संलग्न परिशिष्ट "अ"

3– यह है कि मेरे/हमारे द्वारा भोजन बनाने हेतु रसोईयॉ के कार्य के ठेके हेतु दरें निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट "स" शिडयूल ऑफ रेटंस निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर दी है ।

4– यह है कि मेरे/हमारे द्वारा कार्य आदेश मिलते ही कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा ।

5– यह है कि मेरे/हमारे द्वारा धरोहर (बयाना) राशि के रूप में नगद/चालान संख्या दिंनाक 30–12–2016द्वारा राशि रू.7500/– अंके सात हजार पाच सौ रूपये जमा करवा दी है जिसकी रसीद लिफाफे में डाल दिए है ।

6– पंजीयन संख्वया ——————————दिंनाक————————————तक वैद्य है ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कालोनी, जयपुर

घोषणा–पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हे कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्तें नहीं लगाई है अगर कही अंकित करदी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती है/ मानी जावेगी ।

यह है कि हम श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है । जिसका पंजीयक संख्या–––––––––––––दिंनाक–––––––––––है ।

यह है कि यदि कोई सूचना गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत करदी गई तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सीक्योरिटी) जब्त कर सकेगा ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
अधिकारिता विभाग
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

निविदा फार्म

विषय :– गृह के आवासियों के लिए भोजन बनाने हेतु ।

1– निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता

2– सन्दर्भ निविदा विज्ञप्ति कमांक दिंनाक निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– जरिये रसीद संख्या दिनाक जमा कराई गई है ।

3– निविदा सूचना संख्या दिंनाक जोकि, अधीक्षक, किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग सेठी कालोनी, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिये हम सहमत है । तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है, का पालन करने के लिये हम सहमत है ।

4– रसोईयॉ कार्य, जो ठेके पर दिया जाना है उसका विवरण प्रतिबन्ध एंव शर्ते परिशिष्ठ ''ब'' पर है । हमने ध्यानपूर्वक पढ लिया है और उसी आधार पर दरे दी जा रही है । संलग्न परिशिष्ठ ''स'' ।

5– कार्य आदेश प्राप्त होते ही कार्य करना शुरू कर दिया जावेगा ।

6– परिशिष्ट ''स'' में अंकित दर आदेश देने की दिंनाक से एक वर्ष तक वैद्य होगी, जिसे आपसी सहमति से 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा ।

7– बयान राशि (अर्नेस्टी मनी) रूपये 7500/– (अक्षरे रूपये सात हजार पाच सौ रूपये) के पक्ष में नकद रसीद संख्या/चालान संख्या अधीक्षक, किशोर गृह , बालअधिकारिता विभाग, सेठी कॉलोनी, जयपुर में जमा करवादी है ।

8– भोजन बनाने हेतु रसोइयां कार्य के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलगन है/नही

9– वाणिज्य कर विभाग की पंजीयन संख्या व पंजीयक अधिकारी के कार्यालय का विवरण संलग्न है । नही

10–श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

परिशिष्ट ''अ''

प्रतिबंध एंव शर्ते

1— संस्था/फर्म को श्रम विभाग एंव वाणिज्य कर विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होने का वैध प्रमाण पत्र एंव राजकीय कार्यालय भोजन बनाने/रसोई का कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर निविदा पर कोइ विचार नहीं किया जावेगा ।

2— संवेदक को दो प्रतिशत राशि रूपये 7500/— नगद/रसीद द्वारा निविदा पत्र के साथ जमा करवाना होगा । बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पर कोइ विचार नही किया जावेगा ।

3— निविदा की दरे निर्धारितस्थान "परिशिष्ठ—स" में अंको व शब्दो से भरी जावेगी । दरों में कांट छांट स्वीकार्य नही होगी । संवेदक द्वारा नियुक्त भोजन बनाने वाले को दैनिक मजदूरी नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी ।

4— मोहर बन्द निविदा प्रपत्र मय धरोहर राशि सहित दिनाक 30—12—16 दिवस दोपहर 02:30 बजे तक अधीक्षक, किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, सेठी कालोनी, जयपुर में कक्ष में पहुच जानी चाहिए एंव प्राप्त निविदाऐं उसी दिन मध्यान्ह पश्चात 4:00 बजे खोली जावेगी ।

5— संवेदक की जमानत के यप में ठेके की राशि का 5 प्रतिशत राशि इस कार्यालय को जमा करवानी होगी, जिससे— विभाग में जमा करवाई गई धरोहर राशि को जमानत राशि मे समायोजित कर लिया जावेगा । यह राशि ठेके की अवधि समस्त होने प र लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लोटा दी जावेगी ।

6— न्यूनतम दरों को स्वीकार्य/!अस्वीकार्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है ।

7— ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदा दाताओं को 7 दिवस के अन्दर 500/— के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निश्पादित करना होगा, जो ठेके की अवधि में वैद्य होगा ।

8— प्रारम्भ में रसोईया का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये दिया जावेगा । यदि रसोईया/भोजन संबंधी कार्य उत्कृष्ट पाया गया तो रसोईया के कार्य का ठेका छः माह के लिए दोनो पक्षकारों की सहमति से बढाया जा सकेगा ।

9— संस्था के आवासी किशोरो के लिए भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही होगा । भोजन बनाने वाली/वाला रसोइया किसी भी गम्भीर बीमारी से पीड़ित नही होना चाहिये ।

10— भोजन कर्मचारी (रसोइया) प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 12.30 बज एंव सांय 4:30 से 7:30 तक संस्था में उपस्थित होगे एंव सायं आवासीयों द्वारा खाना खाने के बाद जावेगें । आवश्यकतानुसार कर्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

11— रसोईया को दूध—नाश्ता (पोए, बिस्कुट, दाल—मोठ, दूध—धलिया) प्रातः 8:00 बजे से 9—00 बजे तक (सुबह का भोजना 11:00 से 12:00 बजे) सायंकाल का भोजन 6:30 से 7:30 बजे तक तैयार का आवासीय किशोरो को खिलाना होगा ।

12— खाना, नाश्ता आदि निर्धारित समय पर तेयार कर उपलब्ध करवाने होगें निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी :—

अ—निर्धारित समय से 1 घण्टा विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
ब—निर्धारित समय से 2 घण्टे विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत
स—निर्धारित समय से 3 घण्टे विलम्ब के लिए 7.5 प्रतिशत
द—निर्धारित समय से 3 घण्टे से ज्यादा विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

13— खाना, चाय, दूध, नाश्ता आदि बनाने के लिए श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरें रसोईये की समस्त करों एंव अनुषंगिक प्रीारों सहित प्रस्तुत की जावेगी ।

14— ठेकेदार को भोजन एंव नाश्ता बनाने हेतु आदेशानुसार महिला एंव पुरूष कर्मचारी रखने होगें । लगभग 60—70 आवासी किशोरों हेतु नाश्ता दोनो समय का भोजन बनाने के साथ रोटी, दाल, सब्जी, चाय, दूध, नाश्ता,खिचडी बनाने वाले बर्तनों की सफाई एंव भोजन नाश्ता परोसने आदि कार्य करने होगें ।

15— भोजन बनाते समय रसोई की साफ सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान रखना होगा ।

16— भोजन की व्यवस्था के लिए अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कॉलोनी, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना टेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के टेकेदार को कार्य करना होगा ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

(हस्ताक्षर निविदादाता)

17– ठेकेदार द्वारा नियुक्त भोजन कर्मचारी/रसोईये को मजदूरी नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। ठेकेदार को अगले माह का भुगतान गत माह के भुगतान करने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा

18– समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसोई की सफाई एंव कचरे को उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।

19– संवेदक रसोईया/भोजन बनाने के कार्य का ठेका अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।

20– संवेदक द्वारा लगाये गये रसोईया/भोजन कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका भवन के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड के पास सुरक्षित रखी जावेगी। संवेदक द्वारा अपने कर्मचारी को पहचान पत्र मय उनकी फोटो सहित उपलब्ध करवाना होगा

21– संवेदक द्वारा प्रमाण–पत्र में या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक किशोर गृह को होगा।

22– संवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारी द्वारा किये गये किसी कार्य या चुक के लिए संस्था की जिम्मेदारी नही होगी अर्थात उसके लिए संस्था के विरूद्ध कोइ दावा नही किया जा सकेगा संवेदक के कार्मिकों द्वारा संस्था का कोइ नुकसान किया जाता है तो उसके लिए संवेदक जिममेदार होगा और नुकसान की भरपाई करेगा।

23– रसोईया/भोजन बनाने के रसोइ कार्य के दिये गये रसोइ कार्य को करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं मुहावजा देने का भार संवेदक द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार मददगार एव जिममेदार नहीं होगा।

24– कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एंव राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटोतियों को कर्मचारी पर लागू करना एंव किसी भी राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

25– ठेके की अवधि में रसोईया/भोजन बनाने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाती हे और संबंधित इस अवधि में भोजन बनाने की कार्यो को कराने में असमर्थ रहता है तो संस्था द्वारा अपने स्तर पर भोजन कराने का कार्य में जो राशि व्यय की जाती है वह संवेदक को देय माह बिलों में से अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गइ जमानत राशि में से समायोजित करली जावेगी।

26– भोजन की व्यवस्था के लिए संबंधित कर्मचारी/केयरटेकर किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, सेठी कालोनी द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों एंव ठेके की शर्तो की पालना संवेदक को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के संवेदक को कार्य करना होगा।

27– ठेके की शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर संस्था प्रधान को नियमानुसार आर्थिक दण्ड देने का अधिकार होगा और संवेदक द्वारा आर्थिक दण्ड न देने की स्थिति में दण्ड की राशि जमानत की राशि में से वसूल की जावेगी।

28– ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने पर संस्थाप्रधान को संवेदक की जोखित व लागत पर अन्य संवेदक से कार्य कराये जाने का अधिकार होगा और संविदा निरस्त करने का अधिकार भी होगा।

29– ठेके की अवधि में यदि कोइ विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद में निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राज जयपुर का निर्णय अंतिम होगा एंव संवेदक को मान्य होगा।

30– किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

31– शीतकाल में अधीक्षक के निर्देशानुसार सांय 4.00 बजे चाय, मुंगफली (सेक कर) तेयार कर किशोरों को परोसना/वितरित करना।

32– खाना/भोजन निर्धारित समय पर किशोरों को सस्नेह परोसना।

33– सब्जी दालों को अच्छी तरह धथा छिलकर बनाना। सब्जी, दाल,आटा तथा अन्यखाध्य सामग्री को ढक कर रखना ताकि मक्खी व अन्य कीट भोजन को दूषित नही कर पायें।

34– भोजन बनाने वाले समस्त बर्तनों को तुरन्त खाली कर विमबार टिकिया से भली भांति धोकर यथा स्थान पर रख कर ही संस्था से बाहर जावें।

35– खाना, चाय–नाश्ता बनाने वाली भट्ठी/चुल्हे की प्रतिदिन साफ सफाई करनी होगी।

36– भोजन बनाने हेतु अधिकतम दो कर्मचारी/रसोईये की नियुक्ति आवश्यक होगी तथा ड्यूटी पर तेनात केयरटेकर के निर्देशानुसार समय पर कार्य सम्पादित करना होगा।

उपरोक्त भोजन बनाने के कार्य संबंधी समस्त शर्ते मेने/हमने पढ़ ली है और उक्त समस्त शर्ते मुझे/हमें स्वीकारहै तथा इसकी सनद में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर